[illegible] 1905/16
को पेश हो

1905/16 वकील अभि पक्ष उप० काजल जैन कुमारी श्री वमा होने से बहस नहीं हुई। अतः निगरानी बाबत बहस दिनांक 19/05/16 को पेश हो।

1905/16 वकील अभि पक्ष उप० काजल P.C. से वमा होने से बहस नहीं हुई। पत्रावली बाबत बहस दिनांक 26/05/16 को पेश हो।

26/5/16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के उपस्थित। वकील प्रार्थी ने न्यायालय को अवगत कराया कि, वो अब प्रार्थना-पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर स्वीकृत कर निस्तारित किया जावे।

— वकील प्रार्थी के निवेदन से सहमत होते हुए प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर Withdraw के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जावे। खर्चा से कम हो तथा वाद तक मिल हासिल सफल होगा।

26/5/16

दिनांक 26/05/16 को पत्र संख्या 905 प्रवेशित उपायुक्त महोदय जयपुर संभाग जयपुर को प्रेषित कार्यालय

15/06/16